

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक : प.24(12)(01)/2024

जयपुर, दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षर

— : आदेश :-

यह कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 4 के अन्तर्गत राज्य में गठित किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) में पीड़ित/राज्य पक्ष की पैरवी हेतु वित्त विभाग की आई.डी. सं. 182401713 दिनांक 24.02.2025 के द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन के पद सृजित किये गये है। इस संबंध में पूर्व में जारी किये गये सभी आदेशों को अधिष्ठित करते हुये यह आदेशित किया जाता है कि निम्न सहायक अभियोजन निदेशकगण अपने पदस्थापित के साथ-साथ संबंधित किशोर न्याय बोर्ड में भी कार्य निष्पादित करेंगे :

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदस्थापन कार्यालय	किशोर न्याय बोर्ड
1	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा	अपर लो. अभि. सं. -2 बून्दी	बून्दी
2	सुश्री विनीता सोलंकी	वि.लो.अभि. एनडीपीएस चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
3	श्री आलोक रवि	वि.लो.अभि. एनडीपीएस प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
4	श्रीमती विजया सेठी	वि.लो.अभि. प्रिटिंग स्टेशनरी कोर्ट जयपुर	जयपुर
5	श्री कमल किशोर शर्मा	अपर लो.अभि. सं. 2 झुन्झुनू	झुन्झुनू
6	श्री अजय कुमार व्यास	वि.लो.अभि. एससी/एसटी जोधपुर	जोधपुर
7	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल	अपर लो.अभि. सं. 2 सीकर	सीकर

आज्ञा से,

(रवि शर्मा)

शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक अभियोजन, जयपुर/बून्दी/चित्तौड़गढ़/प्रतापगढ़/झुन्झुनू/जोधपुर/सीकर।
5. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
6. संबंधित अधिकारी।

शासन सचिव, गृह (विधि)

**प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-**

1. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, जयपुर प्रथम, जयपुर।
2. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, जयपुर द्वितीय, जयपुर।
3. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बून्दी।
4. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, चित्तौड़गढ़।
5. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, प्रतापगढ़।
6. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, झुन्झुनू।
7. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, जोधपुर।
8. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सीकर।

शासन सचिव, गृह (विधि)